न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर

पीठासीन अधिकारी: भवानी सिंह देथा, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या – 39/2016 अपील
पंजीयन दिनांक– 18.04.2016
निर्णय दिनांक – 11.12.2017

1. श्री नाथुलाल पिता भेरा जी मीणा, उम्र बालिग
2. श्री कालुलाल पिता भेरा जी मीणा, उम्र बालिग
3. श्री नवलराम पिता भेरा जी मीणा, उम्र बालिग
4. श्री नारायण पिता भेरा जी मीणा, उम्र बालिग

सर्वनिवासीयान–रेटगुरिया,तहसील सराड़ा, जिला उदयपुर (राज.)

–अपीलान्ट्स

बनाम

1. श्री नुर मोहम्म्द पिता श्री वजीर मोहम्मद, जाति मुसलमान, उम्र बालिग ,
2. श्री अब्दुल सलाम पिता श्री वजीर मोहम्मद, जाति मुसलमान, उम्र बालिग

दोनों निवासी – रेटगुरिया, तहसील सराड़ा, जिला उदयपुर (राज.)

–रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थित–

1– श्री भगवत सिंह शक्तावत – अधिवक्ता रेस्पों.संख्या 1 व 2.

अपील अर्न्तगत धारा–75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी सराड़ा, प्रकरण संख्या 24/2015 निर्णय दिनांक 27.01.2016

निर्णय

दिनांक 11.12.2017

अपीलान्ट द्वारा यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–75 के अन्तर्गत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सराड़ा, प्रकरण संख्या 24/2015 निर्णय दिनांक 27.01.2016 के विरुद्ध पेश की गई है।

प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि मौजा रेटगुरिया की साबिक आराजी नं. 83 मीन रकबा 1 बीघा भूमि रेस्पों. संख्या 1 व 2 ने उनके पिता वजीर मोहम्मद के खाते जमाबंदी सम्वत् 2037–2039 में उनके नाम दर्ज होना बताया गया।

दौराने सेटलमेन्ट में सेटलमेन्ट अधिकारियों द्वारा भूमि बिलानाम दर्ज कर दी गई। जिससे रेस्पों. संख्या 1 व 2 ने इन्द्राज दुरस्ती प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सराड़ा के समक्ष पेश किया। अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पों. संख्या 1 व 2 का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर मौजा रेटगुरिया पटवार मण्डल वीरपुरा की आराजी नं. 381 रकबा 0.60 है. भूमि में से 0.21 है. भूमि राजकीय बिलानाम सरकार से कम कर वादी संख्या 1 व 2 के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज किये जाने का आदेश दिया गया। उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलान्टगणों द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–96 के साथ प्रथम अपील इस न्यायालय में पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस सूचित किया गया। एवं तहत का अभिलेख मंगाया गया। वकील अपीलान्ट अनुपस्थित। वकील रेस्पों.संख्या 1 व 2 उपस्थित। वकील रेस्पों. की एक तरफा बहस दिनांक 27.11.2017 को सुनी गई। अतः प्रकरण गुणावगुण पर निस्तारण किया जाना उचित समझते हैं।

अपील मेमों में अपीलान्ट्स के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्टगणों ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश –1 नियम 10 जा.दी. का पक्षकार बनाने हेतु इस कारण पेश किया कि हाल आराजी नं. 381 रकबा 0.60 है. भूमि मौके पर पक्के रास्ते में होकर अपीलान्ट्स एवं अन्य खातेदारों के खेतों पर जाने का रास्ता है। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 जा.दी. का निरस्त करने का आदेश दिया जो काबिल निरस्त के है। आराजी नं. 83 मीन कभी भी रेस्पों. संख्या 1 व 2 के पित्ता या उनके पास कोई कब्जा नही रहा व बिगर किसी राजस्व रेकार्ड व मौके की जांच रिपोर्ट मंगवाये एवं प्रतिवादी राजकीय पैरोकार उपस्थित नहीं होने से उनके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर निर्णय पारित किया गया, जो काबिल निरस्त के है। यह भूमि ग्राम रेटगुरिया से जयसमंद जाने वाला पक्का डामररोड है जो सार्वजनिक प्रयोजनार्थ रास्ते के रुप में काम आ रहा है तथा हाल आराजी संख्या 381 वर्तमान जमाबंदी सम्वत् 2070 से 2073 में बिलानाम गैर काबिल काश्त सड़क के रुप में दर्ज होना बताया गया । उपरोक्त तथ्यों को नजर अन्दाज कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय अपास्त किये जाने योग्य है।

विद्वान वकील रेस्पो. संख्या 1 व 2 ने बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश में को विधिक त्रुटि नहीं की गई है। मौजा रेटगुरिया पटवार हल्का वीरपुरा भू.अ.निरीक्षक क्षैत्र जयसमंद तहसील सराड़ा जिला उदयपुर राज. में हाल जमाबंदी सम्वत् 2070 से सम्वत् 2073 में खसरा नम्बर 381 रकबा 0.60 है0 भूमि बिलानाम स्थित है जिसके साबिक आरजी नम्बर 83 मीन रकबा 1 बीघा है। वर्णित

आराजी रेस्पों. संख्या 1 व 2 के पिता श्री वजीर मोहम्मद के खातेदारी में सम्वत् 2032 – 2035 तक चली आ रही थी। व उनके पिता द्वारा कृषि की जा रही थी व उनकी मृत्यु के बाद दिनांक 25.11.1974 को जरिये नामान्तरकरण संख्या 158 विरासत से रेस्पों. संख्या 1 व 2 खातेदार हुए व कृषि करते चले आ रहे है। सेटलमेन्ट के दौरान उपरोक्त वर्णित आराजी बिलानाम दर्ज कर दी जबकि सेटलमेन्ट विभाग को उक्त आराजी को बिलानाम दर्ज करने का कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं होते हुए भी उक्त आराजी को बिलानाम दर्ज कर दिया जबकि दौरान सेटलमेन्ट, सेटलमेन्ट विभाग को वही ईन्द्राज करना था जो पूर्व में दर्ज था। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट निरस्त फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश बहाल रखाये जाने का निवेदन किया।

हमने वकील रेस्पोंडेन्ट्स की बहस एवं अपील पर अंकित तथ्यों पर मनन किया एवं सम्बन्धित अभिलेख का गहनता से अध्ययन किया। हाल आराजी नं. 381 रकबा 0.60 है0। उक्त भूमि मौके पर पक्के रास्ते में होकर अपीलान्ट्स एवं अन्य खातेदारों के खेतों पर जाने का रास्ता होना बताया गया है। यह तथ्य भी सही है कि अधीनस्थ न्यायालय ने बिगर किसी राजस्व रेकार्ड व मौके की जांच रिपोर्ट मंगवाये एवं प्रतिवादी राजकीय पैरोकार उपस्थित नहीं होने से उनके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर निर्णय पारित किया गया स्पष्ट प्रतीत होता है, और रेस्पोंडेन्ट्स द्वारा प्रस्तुत मिलान क्षैत्रफल से भी आराजी एवं रकबा का मिलान होना नहीं पाया जाता है। ऐसी स्थिति में प्रकरण में **पक्षकारों को सुनकर, राजस्व रेकर्ड एवं मौके की जांच रिपोर्ट मंगवाई जाकर व मिलान क्षैत्रफल तथा नक्शा ट्रेस की सही स्थिति अंकित करते हुए प्रकरण में नये सिरे से सुनवाई कर निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण प्रतिप्रेषित (REMAND) किया जाना उचित समझते है।**

अतः अपील अपीलान्ट आंशिक रुप से स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सराड़ा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.01.2016 अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण प्रतिप्रेषित **(REMAND)** किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त विवेचित तथ्यों पर पुनः सुनवाई की जाकर नये सिरे से निर्णय पारित करें।

निर्णय आज दिनांक 11.12.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भवानी सिंह देथा)
संभागीय आयुक्त
उदयपुर